

13

समाहरणालय, मधेपुरा ।  
(सामान्य शाखा)

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक- 543/सा0, मधेपुरा दिनांक 26/03/2016 में क्रमांक-05 के चौकीदार के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी मो0 नजीर खाँ, पिता- स्व0 तौकीर खाँ, पुर्व दफादार सर्किल संख्याँ-02 अंचल- सिंहेश्वर का पदस्थापन कार्यालय अंचल कार्यालय, पुरैनी के स्थान पर अंचल कार्यालय, सिंहेश्वर पढ़ा जाय।

अन्य शेष सभी शर्ते यथावत रहेगें।  
इसकी सूचना सभी सम्बंधितों को दी जाय।

EO/-  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 558 सा0, मधेपुरा दिनांक- 29 मार्च, 2016

प्रतिलिपि- सभी सम्बंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- पुलिस अधिक्षक, मधेपुरा/असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/अंचल अधिकारी, कुमारखंड/ चौसा/गम्हरिया/एवं सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- ✓ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ। निदेश है कि इसे जिला के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सम्बंधितों को ईमेल भी कर दें।

✓

जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

15

55

पत्रांक-3-ए-2-वे०पु०-10/2010.....वि०

बिहार सरकार  
वित्त विभाग।

प्रषक,

अरुण कुमार सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिवा।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,  
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

समाहरणालय: पटना  
(सामान्य) १/१५  
काम.....  
संकलन संख्या... 11-6/11  
पत्र संख्या 416  
दिनांक... 21-84/16  
11/03/16

पटना, दिनांक : .....

विषय :- दफादारों/चौकीदारों को समूह 'घ' के समान दि० 01.01.06 के प्रभाव से ग्रेड-पे ₹ 1800/- (एक हजार आठ सौ रुपये) की अनुमान्यता के सम्बन्ध में।

संगत

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि कार्यालयों से दफादारों/चौकीदारों को समूह 'घ' के समान दि० 01.01.06 के प्रभाव से ग्रेड पे ₹1800/- (एक हजार आठ सौ रुपये) की अनुमान्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 7099, दि० 01.08.2011 के द्वारा समूह 'घ' के कर्मियों के मामले में यह निर्णय लिया गया कि दि० 01.01.06 के प्रभाव से दसवीं अनुसूची कर्मी को ग्रेड पे ₹1650/- (एक हजार छः सौ पचास रुपये) एवं दसवीं उतीर्ण को ₹1800/- (एक हजार आठ सौ) अनुमान्य होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 2916, दि० 16.09.2011 के क्रम में चौकीदार/दफादार को व्यवहारिक एवं क्षमता विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण देकर उन्हें विविध कार्यों में उपयोग करने की संभावना नहीं है।

अतः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि दफादार/चौकीदार जो मैट्रिक (10) अनुसूची के दि० 01.01.06 के प्रभाव से ग्रेड पे ₹ 1650/- तथा मैट्रिक (10) उतीर्ण हैं, उन्हें ग्रेड पे ₹1800/- अनुमान्य होगा। इन कर्मियों का वेतन निर्धारण संकल्प संख्या 630, दि० 21.01.2010 एवं 7099, दि० 01.08.2011 के प्रावधान के अन्तर्गत में किया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह०/

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिवा।

पत्रांक : 3 ए 2 वे०पु० 10/2010

15288/10

पटना, दिनांक : 26/3/12

प्रतिलिपि : सभी प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदा०/सभी जिला लेखा पदा०/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिवा।

जापक : 3 ए 2 वेल्गु 10/2010  
प्रतिलिपि : सीचव, विद्यार विधान सभा/सीचव, विद्यार विधान परिषद, विद्यार को मुख्यालय एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

पटना, दिनांक :  
रु०/  
(अरुण कुमार सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
गणक के संयुक्त सचिव।  
प्रतिलिपि : मिस्टम एनालिसर, डाटा कोषाग, विना विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अरुण कुमार सिंह  
सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि - श्री अंशुल आलिकारी, अर्धपुरा विमाननौज को  
श्री अर्ध एव अर्धुपामोर्ध प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अर्धुअल प्वालिकारी, अर्धपुरा/उडाकिञ्जुगोड को  
श्री अर्ध प्रेषित ।

प्रतिलिपि - विना वेला प्वालिकारी, अर्धपुरा को श्री अर्ध एव  
श्री अर्धुपामोर्ध प्रेषित ।

28.3.16  
श्री अर्ध प्रेषित  
विना वेला प्वालिकारी  
26.3.16